दिल्ली और पंजाब के बीच रद्द की गई रेलगाड़ियां

6908. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978 में दिल्ली और पंजाब के बीच अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थीं और उसके परिणामस्वरूप जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उससे रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख). मई से दिसम्बर, 1978 की सविरामी अवधियों के लिए दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली 343/344, 331/332, 353/354, 337/338, / डी० बी० /2 डी० बी० 369/370 सवारी गाड़ियों और 45/46 जनता एक्सप्रेस नामक छः जोड़ी गाड़ियों को मुख्य रूप से भाप कोयले की कमी के कारण रद्द करना पड़ा था। इस कारण राजस्व की लगभग 200.36 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई है।

Bonus to P & T Employees

6909. SHRI AMAR ROY PRADHAN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have decided to grant bonus for the Posts and Telegraphs employees; and

(b) if so, what are the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b). Several suggestions have been made for amending the Bonus Act. One of these suggestions relate to the extension of bonus to P & T, Railways etc. All these suggestions are being examined.

रेलवे में विलम्ब शुल्क लेने की कसौटी

6910. श्री कचरूलाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वैगनों से विभिन्न वस्तुओं के उतारने पर किन दरों और किन कसौटी से विलम्ब शुल्क लगाया जाता है ;

(ख) विलम्ब शुल्क माफ करने का अधिकार किस स्तर के अधिकारियों को है तथा वे किस सीमा तक इसे माफ कर सकते हैं; और

(ग) लगभग कितने वैगनों पर प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है और इससे रेलवे को कितनी आय होती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

प्रति घण्टा अथवा उसके किसी भाग पर प्रति मीटरिक टन अथवा मीटरिक टन उसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क की दर।

(क) खाली समय समाप्त होने पर

पहले 24 घण्टों के लिये	25 पैसे	खाद्य तेल टंकी माल डिब्बों को छोड़ कर सभी माल डिब्बों के लिए।
अगले 24 घण्टे के लिए	30 पैसे	
अनुवर्ती अवधि के लिए	40 पैसे	
पहले 25 घण्टों के लिए	60 पैसे	खाद्यतेल टंकी माल डिब्बों के लिए
अगले 24 घण्टों के लिए	1 रुपया	
अनुवर्ती अवधि के लिए	2 रुपये	

माल उतारने के काम के लिए माल डिब्बों की विभिन्न कोटियों को अनुमेय खाली समय की समाप्ति पर विलम्ब शुल्क आरम्भ हो जाता है।

(ख) विलम्ब शुल्क प्रभारों को समाप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को किये गये प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा नीचे दिखाई गई है :—

1. महाप्रबन्धक	पूर्ण अधिकार
	रुपये
2. मुख्य वाणिज्य अधीक्षक	10,000
3. अपर मुख्य वाणिज्य अधीक्षक	7,500
4. मंडल अधीक्षक	5,000
5. मुख्यालयों और मंडलों में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी	4,000
6. वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	1,000
7. सहायक अधिकारी	500